

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ1(93)/पीएस/निकाशि/13/पार्ट 1171

दिनांक :- 21/10/2013

- 1 प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।
- 2 प्राचार्य
राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट/
राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर।
- 3 सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा,
जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर।

विषय :- विधानसभा प्रश्न सं0 498/उच्च शिक्षा/ताराकित प्रश्न द्वारा डॉ. फूलचन्द भिण्डा (102), सदस्य के संबंध में आवश्यक सूचना भिजवाने बाबत।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है विधानसभा प्रश्न सं0 498/उच्च शिक्षा/ताराकित प्रश्न द्वारा डॉ. फूलचन्द भिण्डा (102), सदस्य के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुवार सूचनाएं संलग्न प्रपत्र में पत्र जारी होने के 2 दिवस में निदेशालय को फैक्स सं0 0141-2702247 पर एवं डाक द्वारा भिजवावें ताकि विधानसभा प्रश्न का जवाब तैयार हो सके :-

1. कितने व्याख्याताओं को अवमानना प्रकरण दर्ज होने के बाद भुगतान किया गया ? सूची भिजवायें।
2. माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद कितने व्याख्याताओं का भुगतान शेष है ? सूची भिजवायें।


संलग्न:- प्रपत्र।

भवदीय


संयुक्त निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

प्रतिलिपि :- श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता एवं वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित करें।


संयुक्त निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

प्रपत्र

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में अस्थाई सेवा को जोडकर वरिष्ठ/चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में जारी आदेशो के तहत किये गये भुगतान की वर्तमान स्थिति का विवरण

नाम महाविद्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय :-

| क्र. सं. | नाम व्याख्याता | याचिका संख्या | अवमानना संख्या | आदेश क्रमांक व दिनांक | भुगतान तिथि | राशि | यदि भुगतान नहीं किया गया है तो उसका संक्षिप्त कारण |
|----------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------|------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |